

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

200

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....खपरा.....

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खपरा व भूअनि खपरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार ..... की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खपरा पओहो खपरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत्..... में खाता संख्या..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / पओहो	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>खपरा</u> <u>खपरा</u> <u>प. ए.</u> <u>खपरा</u>	खसरा नम्बर- 216, 217, 220, 221, 222, 224, 228, 233, 234, 234/1414, 235, 236, 238, 242, 245, 246, 143, 210, 571, 573, 574, 575, 576/1, 577 810, 812, 813, 109, 109/101, 110, 111, 117, 119, 116	जमी का नाम - महेश कुल भागीरथ	राजीव सिंह उर्फ महेश कुमार पुत्र भागीरथ किसी भी नामांकन का (संग जोड़ना न हो) का दर्ज करें

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

(राजेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- 28.10.2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 238

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी, प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।